कार्यवृत्त

गुरूवार, 30 आषाढ़, शक संवत्, 1938
(दिनांक : 21 जुलाई, 2016)

खण्ड–44
अंक–10

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे व्यवधान होने लगा। व्यवधान के मध्य ही नेता प्रतिपक्ष ने अपने स्थान पर खड़े होकर अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में अपनी बात रखी।

व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि दिनांक 18 मार्च, 2016 को उपवेशन के पश्चात् रात्रि में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी गइ थी, जिसके उपरान्त आज उपलब्ध प्रथम अवसर पर वे अपना नैतिक कर्तव्य मानते हैं कि सर्वप्रथम आज इसको ही ले लिया जाये। अतः वे अधिष्ठाता मण्डल के माननीय सदस्य श्री नव प्रभात जी से अनुरोध करते हैं कि वे पीठ पर आकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को हटाने के संकल्प के संबंध में आगे की कार्यवाही करें।

11 बजकर 02 मिनट पर माननीय अधिष्ठाता माननीय श्री नवप्रभात जी पीठासीन हुए।

माननीय अधिष्ठाता श्री नव प्रभात जी के पीठासीन होते ही श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा ने कहा कि अधिष्ठाता पीठ पर बैठने का अधिकार नहीं रखते हैं। उन्होने कहा कि संविधान कहता है कि महामहिम राज्यपाल तय करेंगे कि ऐसी परिस्थिति में कौन सदस्य इस पीठ पर बैठेगा। इस पर अधिष्ठाता ने कहा कि सदन कार्य संविधान की व्यवस्था से ही होगा और यदि कोई और रूलिंग हो तो बतायें।

भाजपा के सभी सदस्य ''वेल'' में आकर पीठासीन हुए मा0 सदस्य श्री नवप्रभात जी का विरोध करते हुए नारेबाजी करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा। श्री अधिष्ठाता के बार–बार अनुरोध किए जाने पर भी ''वेल'' में खड़े किसी भी सदस्य ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया।

घोर व्यवधान के मध्य माननीय अधिष्ठाता ने नेता प्रतिपक्ष जी को संविधान का अनुच्छेद 180(2) को पढ़ने तथा सदन को व्यवस्थित करने के लिए कहा। जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधान सभा द्वारा अवधारित व्यक्ति ही बैठ सकता है। जिस पर माननीय अधिष्ठाता ने कहा कि विधान सभा द्वारा अवधारित और अधिसूचित अधिष्ठाता मण्डल का सदस्य ही पीठ पर है।

''वेल'' में खड़े भाजपा के मा0 सदस्यों में से कतिपय ने पीठ पर कागज फेंकना प्रारम्भ कर दिया।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने अधिष्ठाता से अनुरोध किया कि माननीय सदस्य हमला कर रहे हैं, उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया जाय।

घोर व्यवधान के मध्य माननीय अधिष्ठाता ने पुनः नेता प्रतिपक्ष जी से अनुच्छेद 180 (2) का संज्ञान लेने को कहा कि वे नियम–267 के अन्तर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प लिये जाने के लिए सदन की अनुज्ञा मांगें तथा सदन को व्यवस्थित करें एवं मा0 सदस्यों को अपने संकल्प की अनुज्ञा दिए जाने हेतु खड़े होने के लिए कहें। श्री अधिष्ठाता ने

पुनः उन सदस्यों से जो अविश्वास संकल्प पर अनुज्ञा दिए जाने के पक्ष में हों अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कहा परन्तु कोई भी मा0 सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।

माननीय अधिष्ठाता ने अपने स्थान पर खड़े होकर सदन की अनुज्ञा मांगने के लिए मा0 सदस्यों सर्वश्री अजय भट्ट, मदन कौशिक, बंशीधर भगत, हरबंस कपूर, बिशन सिंह चुफाल, तीरथ सिहं रावत, सुरेन्द्र सिंह जीना, प्रेम चन्द अग्रवाल, हरभजन सिंह चीमा, अरविन्द पाण्डे, विजय बड़थ्वाल, दलीप रावत, संजय गुप्ता, राजेश शुक्ला, मालचन्द, प्रेम सिंह राणा, महावीर सिंह रांगड़, राजकुमार ठुकराल एवं चन्द्रशेखर का नाम पुकारा परन्तु कोई भी मा0 सदस्य ने अपने स्थान पर खड़े होकर सदन की अनुज्ञा नहीं ली।

घोर व्यवधान के मध्य नेता प्रतिपक्ष ने श्री अधिष्ठाता से कहा कि आपको विधानसभा ने अप्वाइंट नहीं किया है। विधान सभा मतलब विधान सभा मात्र अध्यक्ष नहीं होते, पूरा सदन होता है। इस सदन में प्रस्ताव आएगा कि आज की कार्यवाही चलाने के लिए नवप्रभात जी को नियुक्त किया जाय, तब यह माना जायेगा, क्योंकि 180(1) में लिखा हुआ है कि गवर्नर अप्वाइंट करेंगे एवं 180(2) में लिखा हुआ है कि विधान सभा अप्वाइंट करेगी।

इस पर श्री अधिष्ठाता ने कहा कि यह प्रोटेम स्पीकर के विषय में है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जबकि इस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त नहीं है तथा संविधान के अनुच्छेद 181 में स्पष्ट है कि जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विधान सभा में विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष और जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा और 180 (2) के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं। अनुच्छेद 180(2) में बिल्कुल स्पष्ट है कि विधान सभा की किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाय या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो विधान सभा द्वारा अवधारित किया जाय, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। दिनांक 21 मई, 2012 की अधिसूचना के द्वारा विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 10 के अन्तर्गत विधान सभा के सदस्यों का अधिष्ठाता मण्डल अधिसूचित किया है, तथा इसके अन्तर्गत नाम निर्देशित अधिष्ठाता तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि नया अधिष्ठाता मण्डल नाम निर्देशित न हो जाय। इसलिए उनकी यह आपत्ति नियमों के विपरीत है इसे वे रद्द करते हैं तथा नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करते हैं कि वे सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग करें। सहयोग न देने की दशा में वे अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने स्थान पर खड़े होने के लिए समय सीमा का निर्धारण कर देंगे।

घोर व्यवधान के मध्य माननीय अधिष्ठाता ने कहा कि दिनांक 18 मार्च, 2016 के हस्ताक्षरित अविश्वास प्रस्ताव पर सदन की अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु वे 11 बजकर 25 मिनट तक का समय निर्धारित करते हैं।

''वेल'' में खड़े भाजपा के सदस्य पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे। सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने पर विपक्ष के सदस्य द्वारा पीठ पर कागज फेंकना प्रारम्भ कर दिया और अध्यक्ष आसन का माईक उखाड़ दिया गया।

माननीय अधिष्ठाता द्वारा अनुज्ञा हेतु समय बढ़ाये जाने के बाद भी विपक्ष के सदस्यों के रवैये को देखते हुए नेता सदन ने व्यवधान के मध्य कहा कि मा0 अध्यक्ष ने उचित ही

अपने और मा0 उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास संकल्प के समय अधिष्ठाता मण्डल के वरिष्ठतम सदस्य श्री नव प्रभात जी को पीठ पर आसीन होने के लिए कहा है परन्तु विपक्ष यदि आवश्यक समझे तो वे पीठ से आग्रह करते है कि आगे की कार्यवाही पीठ द्वारा संचालित की जाए, इस प्रश्न पर सदन की अनुज्ञा ले लें।

घोर व्यवधान के मध्य माननीय अधिष्ठाता ने कहा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के संकल्प के ऊपर कार्यवाही हो, तो सदन की अध्यक्षता उनके द्वारा किये जाने के पक्ष एवं विपक्ष में खड़े हुए सदस्यों की गणना किये जाने हेतु सचिव महोदय को कहा।

घोर व्यवधान के मध्य माननीय अधिष्ठाता ने निर्णय दिया कि गणना के उपरान्त सदन के 59 सदस्यों में से 32 सदस्यों ने इस प्रश्न में 'हॉ' के पक्ष में मतदान किया है और 26 सदस्यों ने विपक्ष में मतदान किया है। श्री अधिष्ठाता ने कहा कि अधिष्ठाता द्वारा सदन की अध्यक्षता किये जाने का प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ है। उन्होने पुनः कहा कि माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के विपरीत जो लोग अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वे अपने स्थान पर अनुज्ञा मांगने के लिए खड़े होवें। परन्तु कोई भी सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।

व्यवधान के मध्य ही नेता प्रतिपक्ष ने पुनः कहा कि अगर अध्यक्ष के खिलाफ कोई प्रस्ताव है तो उसमें राज्यपाल नियुक्त करेंगे या फिर विधान सभा अवधारित करेगी।

इस पर नेता सदन ने कहा कि विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली में अधिष्ठाता मण्डल का प्रोविजन है जिसके तहत ही अधिष्ठाता मण्डल बनाया गया है, सदन द्वारा अनुमोदित है तथा अध्यक्ष एवं उपाघ्यक्ष की अनुपस्थिति में वे ही कार्यवाही संचालित करते हैं। मा0 अध्यक्ष ने नियमों के तहत ही अघिष्ठाता मण्डल के सबसे वरिष्ठ सदस्य को आमंत्रित किया। और आपके द्वारा अनुज्ञा की बात कहने पर मेरे अनुरोध पर उन्होने अनुज्ञा भी ले ली।

नेता प्रतिपक्ष ने पुनः कहा कि संविधान के अन्तर्गत अधिष्ठाता मण्डल को बैठने का अधिकार नहीं है तथा 180 (1) में साफ लिख है कि गवर्नर तय करेंगे।

व्यवधान के मध्य ही नेता सदन ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 180(2) में स्पष्ट है कि अघिष्ठाता बैठ सकते हैं। आपके अविश्वास प्रस्ताव में प्रक्रिया संबंधी कई त्रुटियां हैं। इसमें कारण नहीं है जबकि कारण स्पष्ट तौर पर उल्लिखित होने चाहिए। फिर भी मा0 अध्यक्ष ने संसदीय परम्पराओं के पालन में उसको लिए जाने के लिए पीठ पर न बैठ कर अधिष्ठाता मण्डल के वरिष्ठतम सदस्य को आमंत्रित किया। आपके द्वारा अनुज्ञा की बात कहने पर उन्होने अनुज्ञा भी ले ली। और यदि वे चाहें तो अनुज्ञा पुनः ली जा सकती है, विपक्ष नए सिरे से अनुज्ञा का प्रस्ताव कर सकता है। वे शान्त होकर इस पर विचार करें और सदन की कार्यवाही चलने दें।

वैल में खड़े सदस्य पूर्ववत नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान होता रहा। नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपनी बात पर बल दिया गया कि अधिष्ठाता को बैठने का अधिकार नहीं है। 180 (1) एवं (2) तथा 181 (1) एवं (2) अच्छी तरह से पढ़ कर फिर डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन पीठ पर होगा।

इस पर श्री अधिष्ठाता ने कहा कि जब मा0 अध्यक्ष ने नाम लिया था तो उन्होने आपत्ति दर्ज नहीं की।

व्यवधान के मध्य ही नेता सदन ने पुनः कहा कि विपक्ष ही प्रस्ताव कर दे कि अनुज्ञा कैसे लेनी है। नियमावली के नियम 10 में 180 (2) के अधीन ही अधिष्ठाता मण्डल नोटिफाईड है और उसके वरिष्ठतम सदस्य पीठासीन है। कौल शकधर में भी लिख है कि पैनल आफ चेयरमैन का सदस्य बैठेगा।

व्यवधान के मध्य ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेंगे जो कार्य संचालित करेगा। इस पर नेता सदन ने कहा कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा।

श्री अधिष्ठाता के बार बार आग्रह करने पर भी भाजपा के सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया जिस पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 21 मिनट पर 01:00 बजे तक के लिए स्थगित की।

सुरक्षा अधिकारी ने सूचित किया कि सदन का समय श्री अधिष्ठाता ने 01:15 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

सुरक्षा अधिकारी ने सूचित किया कि सदन का समय श्री अधिष्ठाता ने 01:30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

सदन की कार्यवाही 01:30 बजे माननीय अधिष्ठाता के पीठासीन होने पर पुनः आरम्भ हुई।

01:30 बजे श्री अधिष्ठाता के पीठासीन होते ही भाजपा के सदस्य 'वेल' में आकर श्री अधिष्ठाता के पीठासीन होने का विरोध करने लगे तथा 'वेल' में आकर जोर–जोर से नारे लगाने लगे और श्री अधिष्ठाता के बार–बार आग्रह करने पर भी स्थान ग्रहण नहीं किया।

घोर व्यवधान के मध्य माननीय अधिष्ठाता ने कहा कि नियम–266 के अन्तर्गत माननीय विधान सभा के समक्ष संकल्प प्रस्तुत करने के लिए कि– 'यह सदन श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, अध्यक्ष विधान में अविश्वास प्रकट करता है।' निम्नलिखित सदस्यों के हस्ताक्षर से युक्त प्रस्ताव सचिव, विधान सभा को दिनांक 18 मार्च, 2016 को प्राप्त हुआ। हस्ताक्षरकर्ता श्री अजय भट्ट, श्री मदन कौशिक, श्री बंशीधर भगत, श्री हरबंस कपूर, श्री विशन सिंह चुफाल, श्री तीरथ सिंह रावत, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री प्रेम चन्द अग्रवाल, श्री हरभजन सिंह चीमा, श्री अरविन्द पाण्डे, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री दलीप रावत, श्री संजय गुप्ता, श्री राजेश शुक्ला, श्री प्रेम सिंह राणा, श्री महावीर सिंह रांगड़, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री चन्द्रशेखर एवं श्री यतीश्वरानन्द द्वारा नियम–266 के अन्तर्गत प्रस्तुत इस प्रस्ताव को लिए जाने के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों का ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–267 की ओर आकर्षित करता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा के सभी सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया।

श्री अधिष्ठाता ने सूचित किया कि संकल्प लिए जाने के लिए सदन की अनुज्ञा जिन सदस्यों के नाम में संकल्प हो, वे संकल्प वापस ले सकेंगे, परन्तु यदि वे ऐसा न करें इसलिए प्रथम प्रश्न यह है कि क्या जिन सदस्यों ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है, वो इसे वापस लेना चाहते हैं। चूंकि किसी सदस्य ने संकल्प वापस लेने की सूचना नहीं दी है तो मैं संकल्प उपस्थित करने के लिए सदन की अनुज्ञा मागने के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ। मैं उन सदस्यों को जो अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों अपने–अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए

कहता हूॅ। मैं पुनः दूसरी बार उन सदस्यों को जिन्होंने नियम–266 के अन्तर्गत इस पस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, अपने अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कहता हूं। मैं पुनः उन सदस्यों को जिन्होने नियम– 266 के अन्तर्गत हस्ताक्षर करके प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, अपने अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कहता हूं। क्योंकि किसी भी सदस्य ने इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होकर प्रस्ताव के पक्ष में अनुज्ञा मांगने का कार्य नहीं किया है, इसलिए मैं इस प्रस्ताव को व्यपगत घोषित करते हुए मा0 विधान सभा अध्यक्ष जी को अग्रिम कार्य संचालन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं।

01:35 बजे श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि दिनांक 18 मार्च, 2016 को रात्रि 08:30 बजे श्री अजय भट्ट और उनके साथियों ने माननीय उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्तुत किया था। उसके बाद आज पहली बार विधिवत यह सदन आहूत हुआ है। इसलिए इस नोटिस का संज्ञान लेते हुए आज इस पर कार्यवाही की जायेगी। जिन माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है, उनमें नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट, श्री हरक सिंह रावत, श्री मदन कौशिक, श्री हरबंस कपूर , श्री राजेश शुक्ला, श्री प्रेम चन्द अग्रवाल आदि सभी माननीय सदस्य हैं। इनमें से कोई भी माननीय सदस्य अगर इस प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बात कहना चाहें तो वह अनुज्ञा के लिए पहले अपने स्थान पर खड़े हो जायें। सदस्यों के अनुपस्थित होने पर कोई भी सदस्य खड़े नहीं हुए। इसलिए यह प्रस्ताव अपने आप में गिर गया। मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूॅ कि वह पुनः अपने स्थान पर आसन ग्रहण करें।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुईं। सभी सदस्यों की सूचनाओं को वे सदन में अनुपस्थित होने पर अस्वीकार करते हैं।

सचिव, विधान सभा ने उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, को सदन के पटल पर रखा।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का त्रयोदश वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च 2014 तक) एवं चतुर्दश वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक) को सदन के पटल पर रखा।

समाज कल्याण मंत्री ने निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा–65 के अन्तर्गत आयुक्त निःशक्तजन उत्तराखण्ड का 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक तथा 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अधीन उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन (2010–2011), ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (2011–2012), बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (2012–2013), तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन (2013–2014) तथा चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन (2014–2015) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड मोटरयान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 को सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि :–

(1) भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 03 नवम्बर, 2015 को पारित किया गया था, पर माननीय राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 15 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का प्रथम अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का दूसरा अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का तीसरा अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का चौथा अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड अन्य पिछडा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का पांचवा अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का छठवां अधिनियम बन गया।

(7) उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का सातवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का आठवां अधिनियम बन गया।

(9) उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का नवां अधिनियम बन गया।

(10) उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का दसवां अधिनियम बन गया।

(11) उत्तराखण्ड पंचायतीराज विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

(12) उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का बारहवां अधिनियम बन गया।

(13) उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का तेरहवां अधिनियम बन गया।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के ग्राम पंचायत पोखरी को मोटर मार्ग से जोडने हेतु लिंक मोटर मार्ग की स्वीकृति के सम्बन्ध में'' श्री ललित मोहन, निवासी ग्राम पोखरी, पो0 खन्तोली, तहसील काण्डा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के ग्राम ढोक्टीगांव में खेल मैदान निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री पूरन सिंह दानू, निवासी ग्राम ढोक्टीगांव, पो0 बघर, तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के ग्राम पंचायत पन्द्रहपाली के अन्तर्गत राजस्व ग्राम कुकडाडाण्डा में मिनी आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री रमेश चन्द्र सिंह हरडिया, ग्राम प्रधान निवासी पन्द्रहपाली तहसील एवं जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के बनलेख तहसील दुग–नाकुरी में विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री जीवन सिंह कालाकोटी, निवासी ग्राम नाघर, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के ग्राम पंचायत मन्तोली के ईजरगांव में पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री प्रकाश चन्द्र, ग्राम प्रधान, निवासी मन्तोली, विकासखण्ड/जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा स्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के ग्राम शामा क्षेत्र के अन्तर्गत तल्लाभैसखाल से बगड़ लालपुल तक सी0सी0 मार्ग स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री गुलाब सिंह, निवासी ग्राम व पो0 शामा, तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन के संज्ञान में लाया गया कि उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 27 मार्च, 2016 से राष्ट्रपति शासन लागू होने के उपरान्त लोक सभा द्वारा लेखानुदान के रूप में उत्तराखण्ड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के एक तिहाई भाग के लिए अध्यादेश के माध्यम से स्वीकृत तथा तदोपरान्त लोक सभा द्वारा उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016 (अधिनियम संख्या–33 वर्ष 2016) के रूप में विनियोग विधेयक पारित हुआ है।

अतः माननीय राष्ट्रपति एवं लोक सभा द्वारा पारित लेखानुदान संबंधी सूचना सदन के संज्ञानार्थ लाते हुए इस संबंध में एक विनियोग विधेयक आज पृथकतः पुरःस्थापित भी कर रही हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री ने हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय विधेयक 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय विधेयक 2016 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय विधेयक 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय विधेयक 2016 को पुरःस्थापित किया।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड बेनामी लेन–देन (प्रतिषेध) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड बेनामी लेन–देन (प्रतिषेध) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

शहरी विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

शहरी विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2016 को पुरःस्थापित किया।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनॉक 19 जुलाई, 2016 की बैठक में दिनॉक 21 तथा 22 जुलाई, 2016 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

जुलाई, 2016

<u>21 गुरूवार</u>

(1) **औपचारिक कार्य।**

(2) **विधायी कार्य।**

1. उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।
2. उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर यथा निदेशों के अनुसरण में विचार। (30मिनट)

3. उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वास, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक, 2016 का विचार एवं पारण। (30 मिनट)
4. उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी विधेयक, 2016 का विचार एवं पारण। (30 मिनट)

22 शुक्रवार

(1) **विधायी कार्य।**

(2) **असरकारी कार्य (आधा दिवस)**

असरकारी संकल्प

(1) डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, पूर्व सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस माननीय सदन की सर्व–सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।''

(2) श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति ''यमुना स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिये ''गंगा विकास प्राधिकरण'' की भांति ''यमुना विकास प्राधिकरण'' का गठन भी किया जाय।''**(15 मिनट)**

(3) श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में बन्दरों की जनसंख्या को कम करने के लिए एक अलग से नीति बनायी जाये।''**(15 मिनट)**

(4) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्थापित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी नीति हेतु इस सदन की समिति बनायी जाये।'' **(15 मिनट)**

(5) श्री महावीर सिंह रांगड, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड के विकेन्द्रीयकृत विकास हेतु संविधान के अनुच्छेद 243 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये त्रिस्तरीय पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये।'' **(15 मिनट)**

(6) श्री पुष्कर सिंह धामी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड में टनकपुर स्थित 'मां पूर्णागिरी धाम' हेतु राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एवं प्रदेश की राजधानी देहरादून से रेलवे लाईन का निर्माण, क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति एवं जन सामान्य के हित में तथा पर्यटन के दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।''**(15 मिनट)**

(7) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए, प्रदेश के प्रत्येक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।''**(15 मिनट)**

(8) श्री विशन सिंह चुफाल, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में विकास खण्डों की विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, विकास खण्डों के पुनर्गठन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''**(15 मिनट)**

1. <u>नियम–105 के प्रस्ताव</u>

(1) श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रकिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।'' **(15 मिनट)**

(2) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''राज्य में नगर निगम व नगर पालिका, नगर पंचायतों के कार्यो के संचालन हेतु संयुक्त रूप से सम्बन्धित निकायों के अधिकारियों/ मेयर/ अध्यक्ष/पार्षद/सदस्यों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाय।'' **(15 मिनट)**

(3) श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ना का उचित मूल्य एंव गन्ना मूल्य के समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने कि लिये विधान सभा के सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाय, जो एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट देगी।''**(15 मिनट)**

(4) श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य, विधान सभा द्वारा 21 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में औद्योगिक आस्थानों में छोटे–छोटे उद्योगों को आवंटित भूमि निर्धारित शर्तो पर लीज में दी गयी थी, को फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दिया जाय।'' **(15 मिनट)**

(5) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि मध्याह्न भोजन में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए, इस योजना के स्थान पर किसी अन्य योजना को लागू करने पर विचार करें। '' **(15 मिनट)**

3. <u>नियम–54 की सूचना</u>

(1) श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चाः–

''जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था,

के तीन वर्षो से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।'' **(15 मिनट)**

(2) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चाः–

''प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।'' **(30 मिनट)**

(3) डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, पूर्व सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चाः–

''उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने के संबंध में।''

(4) डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, पूर्व सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियां बसी हुयी हैं, जिनके निवासियों के पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण पत्र नही हैं, जिस पर उन्होंने अपने रिहायशी मकान बनाये हैं।

ये आवासीय ईकाईयां अस्थायी, अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी तीनों संरचनाओं में हैं। ये बस्तियां नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे तथा अनुपयुक्त पड़ी राजकीय या विभागीय भूमियों पर विकसित हुयी हैं।

कुछ नगर निकायों में ऐसी बस्तियों को मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित भी किया गया है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आता है, में ऐसी कोई अधिसूचना की कार्यवाही नही की गयी है।

इन बस्तियों में बिजली, पानी की सुविधाएं अस्थायी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी है, परन्तु स्वच्छता की दृष्टि से ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां के निवासियों के पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि की पूर्ण व्यवस्था है।

इन बस्तियों की बसावट आपदा के समय राहत पहुंचाने की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है।

इन बस्तियों के निवासी समाज को मजदूर तथा सेमी स्किल्ड मजदूर के रूप में, अत्यधिक छोटे व्यापारी तथा व्यवसायियों के रूप में अति आवश्यक सेवा प्रदान करते हैं। घरेलू सहायकों के रूप में इनका योगदान है।

सामाजिक संरचना में इस सर्विस सेक्टर के योगदान तथा आवश्यकता को देखते हुए यह समाज के हित में है कि इन मलिन बस्ती वासियों को सुरक्षित स्वच्छ आवासीय सुविधा प्रदान करने की नीति प्रख्यापित की जाय।'' **(30 मिनट)**

(5) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चाः–

''प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में आपदा की स्थिति से निपटने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाय जो निश्चित समय के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।''**(30 मिनट)**

(6) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चाः–

''प्रदेश में आयी भीषण आपदा के बाद प्रदेश की चार धाम यात्रा में घटती यात्रियों की संख्या एवं पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के घटते आकर्षण के दृष्टिगत प्रदेश में यात्रियों को आकर्षित करने तथा देश की जनता का प्रदेश के प्रति घटते विश्वास को प्राप्त करने के लिये एक कार्ययोजना बनायी जाय।''**(30 मिनट)**

(7) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चाः–

''प्रदेश के धार्मिक महत्व को देखते हुए प्रदेश में किसी धार्मिक उद्देश्य से बनाये गये ट्रस्ट/सोसाईटी अथवा समिति द्वारा चलाये जा रहे मठ/मन्दिर/आश्रम पर राज्य सरकार द्वारा पानी/बिजली/सीवरेज/हाउस टैक्स आदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाय।'' **(30 मिनट)**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिसमें से श्री मालचन्द, श्री चन्दन राम दास, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री संजय गुप्ता एवं श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, सदस्य विधान सभा की सूचना को ग्राह्यता पर सुने जाने हेतु नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष ने 02 बजकर 02 मिनट पर सदन की कार्यवाही अपराह्न 03:00 बजे तक के लिए स्थगित की।

सदन की कार्यवाही अपराह्न 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर यथा निदेशों के अनुसरण में विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–34, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर यथा निदेशों के अनुसरण में पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य की नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वास, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–6, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य की नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वास, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक, 2016 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी विधेयक, 2016 को वापस लिए जाने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत 17 सूचनाएं प्राप्त हुईं, वे इनमें से–

" विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत लक्ष्मण झूला–कांडी–दुगड्डा मोटर मार्ग की गुणवत्ता एवं निर्माण के विलम्ब के संबंध में" श्रीमती विजय बड़थ्वाल की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु तथा,

" विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर के अन्तर्गत प्रमुख सड़क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री राजकुमार ठुकराल की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करते हैं।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

सदन की कार्यवाही 03 बजकर 33 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुईं।

(जगदीश चन्द्र)
सचिव,
विधान सभा।

(गोविन्द सिंह कुंजवाल)
अध्यक्ष,
विधान सभा।